माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

बी-38 विकास भवन, जोन-1, एम.पी. नगर, भोपाल
फोन : 0755-2725559

विश्वविद्यालय भवनों की सुरक्षा हेतु निविदा

विश्वविद्यालय परिसर के भवनों के सुरक्षा कार्य के लिये प्रतिष्ठित एवं अनुभवी सुरक्षा एजेंसियों से निविदायें आमंत्रित हैं। इच्छुक सुरक्षा एजेंसी रुपये 1000/- (रुपये एक हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो '**माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय**' के पक्ष में देय हो, को प्रस्तुत कर **दिनांक 29.08.2018 सायं 5.00 बजे तक** भंडार शाखा से या वि.वि. की वेबसाइट (**www.mcnujc.ac.in, www.mcu.ac.in**) से निविदा फार्म प्राप्त कर सकते हैं। भरे हुये निविदा फार्म दिनांक 30.08.2018 दोपहर 3.00 बजे तक जमा किये जा सकते हैं। निविदा उसी दिन दोपहर 4.00 बजे खोली जायेगी। बिना कारण बताये निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा।

म.प्र. माध्यम/91185/2018 **कुलसचिव**

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल

निविदा फार्म

1. विश्वविद्यालय भोपाल के विभिन्न भवनों की सुरक्षा के लिए निविदाएं आमंत्रित की जातीं हैंः–

बी–38 विकास भवन जोन–1, एम. पी. नगर, भोपाल

ई–8 त्रिलोचन नगर शाहपुरा, भोपाल,

ई–2 / 163, अरेरा कॉलोनी, भोपाल

शिल्पी प्लाजा, रीवा परिसर

2. निविदाकार फर्म का नाम / पता / फोन ....

/ मो. नम्बर / ई–मेल आदि। ....

....

धरोहर राशि रू ....डिमाण्ड ड्राफ्ट क्र............................दिनांक ....

3. नगर निगम का स्थापना पंजीयन प्रमाण पत्र ....

फर्म का स्वयं का ई.पी.एफ. नं. ....

ई.एस.आई. नं. ....

पेन कार्ड नं. ....

जी.एस.टी.एन. ....

लेबर स्थापना का पंजीयन क्रमांक ....

पुलिस सत्यापन का नवीनतम प्रमाण पत्र ....

आई.एस.ओ. स्थापना पंजीयन प्रमाण पत्र ....

फर्म के पिछले तीन वित्तीय वर्षों के आडिट की बैलेंस शीट संलग्न करें।

4 सुरक्षा का कार्य करने वाले व्यक्तियों का विवरण एवं अपेक्षित पारिश्रमिक की दर अलग–अलग लिखें।

क्र.	विवरण	अनुमानित संख्या	वेजेज	ई.पी.एफ.	ई.एस.आई.. सी.	GST	सर्विस चार्ज	योग कुल राशि रू.
1.	सुपरवाईजर	01						
2.	सुरक्षा गार्ड भोपाल रीवा	20+3=23						
3.	गनमैन आवश्यकतानुसार	01						

5. संस्था का कार्य अनुभव का विवरण जिनसे कार्य अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ हो :–

क्र.	विभाग का नाम/पता	अनुबंधित सुरक्षा कर्मियों की संख्या	अनुभव की अवधि वर्ष	संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र

निविदा की शर्तें

1.. बिना कारण बताए निविदा को निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा।

2. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम 1990 से स्थापित विश्वविद्यालय है, जिसका मुख्यालय विकास भवन बी–38 जोन–1, एम.पी. नगर,भोपाल में स्थित है। एक भवन ई–8, त्रिलोचन नगर, शाहपुरा में स्थित है। इसके अतिरिक्त ई–2/36 अरेरा कालोनी में कन्या छात्रावास तथा ई–2/163 अरेरा कालोनी में कुलपति आवास है एवं शिल्पी प्लाजा रीवा में है। इन भवनों की सुरक्षा का कार्य करना होगा।

3. **सुरक्षा कर्मी कम से कम आठवीं पास हो।**

4. निविदा फार्म के बिन्दु एक में दर्शाये परिसरों में स्थित चल एवं अचल सम्पत्तियों एवं उसमें कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सुरक्षा का कार्य नियमित रूप से हो, यह सुनिश्चित करने का दायित्व सुरक्षा एजेंसी का होगा।

5. विश्वविद्यालय एवं चयनित सुरक्षा एजेंसी आपसी सहमति से प्रत्येक परिसर के लिए सुरक्षा कर्मियों के संख्या का निर्धारण करेंगे जो 24 घंटे विश्वविद्यालय की चल एवं अचल सम्पत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।

6. चयनित सुरक्षा एजेंसी का यह दायित्व होगा कि वे पूरी सजगता से इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी अवांछनीय तत्व या बाहरी व्यक्ति विश्वविद्यालय में बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रवेश न कर पाये।

7. उल्लिखित दरों में किसी प्रकार की भी काट–छांट या ओवर राइटिंग होने पर उसे मान्य नहीं किया जायेगा। अतः दरों को अंकित करते समय सावधानी बरती जावे एवं दरें सुस्पष्ट (अंक तथा शब्दों में) पठनीय रहें।

8. **निविदा जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 30 अगस्त 2018 अपरान्ह 3.00 बजे तक है।**

9. सुरक्षा का ठेका एक वर्ष की अवधि के लिए होगा। दोनों पक्षों की सहमति से इस अवधि में वृद्धि की जा सकेगी।

10. चयनित सुरक्षा एजेंसी का यह भी दायित्व होगा कि वह विश्वविद्यालय परिसरों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी की व्यक्तिगत सुरक्षा कार्यालय के अंदर सुनिश्चित करेगी। चयनित सुरक्षा एजेंसी ऐसी व्यवस्था करेगी। इसका टाईम टेबल तैयार कर विश्वविद्यालय प्रशासन से स्वीकृत कराना होगा।

11. सुरक्षा एजेंसी के कर्मचारियों के लिए निम्न अहर्ताएं निर्धारित की जाती हैंः–

    अ. सुरक्षा पर्यवेक्षक, भूतपूर्व सैनिक, नायक की रैंक से कम न हो अथवा समकक्ष।

    ब. सुरक्षा गार्ड, एन.सी.सी. प्रशिक्षित आर. पी.एफ./होमगार्ड से सेवानिवृत्त कर्मचारी, फायर फायटिंग प्रशिक्षित हो।

    स. गन मैन को शस्त्र लाईसेंसधारी होना अनिवार्य हैं

12. सुरक्षा एजेंसी को विश्वविद्यालय द्वारा देय राशि पर नियमानुसार आयकर की कटौती की जायेगी।

13. चयनित संस्था रू. 2,00,000/– (दो लाख रूपये मात्र) की सुरक्षा निधि विश्वविद्यालय को देय बैंक ड्राफ्ट के द्वारा जमा करेगी जो अनुबंध अवधि तक विश्वविद्यालय के पास जमा रहेगी ताकि विश्वविद्यालय को किसी भी प्रकार की चल–अचल सम्पत्ति की हानि होने पर सुरक्षा निधि से विश्वविद्यालय चयनित संस्था से वसूली कर सके। वसूली योग्य राशि सुरक्षा निधि से अधिक होने पर अन्तर की राशि जमा करने के लिए सुरक्षा एजेंसी बाध्य रहेगी।

निरंतर.................

14. चयनित सुरक्षा एजेंसी अपने कर्मियों की निष्ठा एवं आचरण का सत्यापन सुनिश्चित करेगी एवं उनका अभिलेख रखेगी। प्रत्येक सुरक्षा कर्मी के पास पहचान–पत्र (I-Card) होना अनिवार्य होगा तथा वे अपनी वर्दी पर नाम पट्टिका भी लगाएंगे।
15. चयनित सुरक्षा एजेंसी द्वारा अपने दायित्व के निर्वहन में लापरवाही पाए जाने पर विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि वह एक माह का नोटिस चयनित संस्था को देकर उनकी सेवाएं समाप्त कर सके।
16. चयनित सुरक्षा एजेंसी द्वारा तैनात सुरक्षा सुपरवाईजर, सुरक्षा गार्ड एवं गनमैन की समस्त अधिकृत जानकारी जिसमें पुलिस अभिप्रमाणन (Verification) शामिल है, विश्वविद्यालय के पास जमा करायेगी।
17. संक्षेप में चयनित सुरक्षा एजेंसी निम्न कार्यों के लिए उत्तरदायी होगीः–

अ. परिसरों में आने जाने वाले व्यक्तियों पर निगरानी रखना तथा बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश बिना संबंधित अधिकारी की अनुमति के नियंत्रित करने का दायित्व सुरक्षा एजेंसी का होगा।

ब. परिसरों में स्थित मशीन, उपकरण, फर्नीचर, रिकार्ड व अन्य सामग्री की चौबीसों घंटे एवं इनमें कार्यरत कर्मचारियों की कार्य अवधि में सुरक्षा का दायित्व सुरक्षा एजेंसी का होगा।

स. परिसरों में स्थित चल–अचल सम्पत्ति की क्षति, चोरी, आगजनी, दंगा अथवा अन्य किसी कारण से हानि होने पर उसकी क्षति पूर्ति सुरक्षा एजेंसी को करनी होगी।

द. परिसरों में सुरक्षा के दायित्व में पूरे भवन, पार्किंग एरिया, बाउंड्री के अंदर बिल्डिंग व अन्य ऐसे समस्त क्षेत्र सम्मिलित होंगे जो विश्वविद्यालय के आधिपत्य में हो। इन समस्त स्थानों पर सुरक्षा कर्मियों की निगरानी एवं सुरक्षा के दायित्व का निर्वहन सुरक्षा एजेंसी को करना होगा।

प. महिला छात्रावास में छात्राओं की व्यक्तिगत सुरक्षा एवं छात्रावास व छात्राओं की सम्पत्ति की सुरक्षा का दायित्व सुरक्षा एजेंसी का होगा। चयनित सुरक्षा एजेंसी छात्रावास में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश नियंत्रित करेगी तथा किसी भी प्रकार के अवांछनीय तत्वों के प्रवेश को प्रभावी ढंग से रोकेगी।

फ. चयनित सुरक्षा एजेंसी की पूरी जिम्मेदारी होगी कि किसी भी परिसर में अग्नि–दुर्घटना होने पर उसे नियंत्रित करने के लिए अपने सुरक्षा कर्मियों को ''फायर–फाइटिंग'' की ट्रेनिंग से लैस रखें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसका तत्काल उपयोग करने में सक्षम हों।

भ. प्रत्येक सुरक्षा कर्मी अपनी ड्यूटी के समय निर्धारित वर्दी तथा सफाई कर्मी एप्रिन पहन कर ही उपस्थित रहें। वर्दी ,एप्रिन एवं परिचय पत्र आदि सुरक्षा एजेंसी स्वयं के व्यय से सुरक्षा कर्मियों को उपलबध करायेगी ताकि उनकी पहचान सुनिश्चित हो सके। वर्दी का अनुमोदन विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

18. विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सुरक्षा कर्मी की लापरवाही को सुरक्षा एजेंसी के सामने लाये एवं ऐसे किसी भी सुरक्षाकर्मी को बदलने के लिए द्वितीय पक्ष को निर्देशित करे। ऐसी स्थिति में सुरक्षा एजेंसी अविलम्ब अन्य सुरक्षाकर्मी तैनात करने के लिए बाध्य होगी। इसकी सूचना विश्वविद्यालय प्रशासन को देना होगी।
19. चयनित सुरक्षा एजेंसी को सुरक्षा कर्मियों का ड्यूटी चार्ट हर पखवाड़े में अनुमोदनार्थ विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना होगा।
20. निविदा फार्म के साथ धरोहर राशि के रूप में रू. 1,00,000/– (रूपये एक लाख मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो ''माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल के पक्ष में देय हो'' संलग्न करना अनिवार्य हैं।
21. कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा संबंधी प्रमाण–पत्र निविदा फार्म के साथ संस्थाएं प्रस्तुत करें। जिसमें सुरक्षा कर्मियों का रु.1,00,000/– (रुपये एक लाख) मात्र का बीमा होना चाहिए।
22. दोनों पक्षों के बीच अनुबंध से संबंधित किसी बिंदु पर विवाद की स्थिति में प्रकरण विश्वविद्यालय के कुलपति को प्रस्तुत किया जायेगा तथा कुलपति दोनों पक्षों को सुनकर जो भी निर्णय देंगे वह दोनों पक्षों पर बंधनकारी होगा।
23. चयनितसुरक्षा एजेंसी को अपने कर्मचारियों को टार्च, लाठी, वर्दी एवं सीटी उपलब्ध कराना होगा।
24. PAN नम्बर, TIN नम्बर आदि का उल्लेख अवश्य करें तथा उसकी (छाया प्रति संलग्न करें)।
25. सुरक्षा एजेंसी को अपने कर्मियों के लिए आवास व्यवस्था स्वयं करनी होगी। विश्वविद्यालय द्वारा यह सुविधा प्रदान नहीं की जावेगी और न ही कोई अतिरिक्त भुगतान इस हेतु किया जायेगा।
26. आपात परिस्थितियों में सुरक्षा एजेंसी द्वारा प्रदत्त सेवाएं नियमित समय के लिए सीमित नहीं रहेंगी, अपितु विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कार्य सम्पादन में पूर्ण सहयोग करना होगा जिसके लिए पृथक से कोई व्यय देय नहीं होगा।

निरंतर.................

27. सुरक्षा एजेंसी द्वारा विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार गन मैन सुरक्षा कर्मचारी उपलब्ध कराये जावेंगे। गन मैन को प्रदाय बंदूक का लायसेंस स्वयं के नाम से होने संबंधी लायसेंस की प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना होगा।
28. ई.एस.आई. तथा सर्विस टैक्स कटौत्रा अंशदान एवं कर्मचारियों की अधिनियमित सुविधाओं के लिए समस्त राशि का भुगतान सुरक्षा एजेंसी द्वारा किया जावेगा तथा उक्त राशि के समस्त चालानों की छाया प्रति आगामी बिलों के प्रस्तुत करते समय संलग्न करना अनिवार्य होगा । अन्यथा आगामी माह के बिलों का भुगतान नहीं किया जा सकेगा।
29. सुरक्षा एजेंसी के कर्मचारी ड्यूटी के दौरान अनुशासित रहेंगे एवं उन्हें विश्वविद्यालय की शर्तों का पालन करना होगा। यदि सुरक्षा कर्मचारी द्वारा विश्वविद्यालय के नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करें।
30. सुरक्षा एजेंसी का उत्तरदायित्व होगा कि वह प्रचलित श्रम कानूनों जैसे फैक्ट्री एक्ट, श्रम, संविदा अधिनियम, न्यूनतम वेतन अधिनियम, ई.पी.एफ.,ई.एस.आई, अधिनियम एवं अन्य संबंधित अधिनियमों का पालन करें। यदि संबंधित अधिनियम के उल्लंघन बाबत् विश्वविद्यालय को नोटिस प्राप्त होता है एवं कोई दण्ड निर्धारित किया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी संस्था की रहेगी तथा विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि वह सुरक्षा एजेंसी को किए जाने वाले भुगतान से इसका वसूली करे।
31. विश्वविद्यालय परिसरों में धूम्रपान/मदिरापान पूर्णतः वर्जित है। यदि सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है तो सुरक्षा एजेंसी पर जुर्माना करने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा। ऐसे सुरक्षा कर्मी की दुबारा परिसर में ड्यूटी न लगाई जाए यह भी सुनिश्चित करना होगा।
32. सुरक्षा एजेंसी अपने कर्मचारियों के ई.पी.एफ./**S.T.**कटौत्रा अंशदान नियमानुसार जमा कराने हेतु उत्तरदायी होगी एवं इसका सम्पूर्ण रिकार्ड एजेंसी द्वारा स्वयं रखा जावेगा तथा सत्यापन हेतु यह रिकार्ड विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जावेगा।
33. यह निविदा अहस्तांतरणीय है।
34. सुरक्षा पर्यवेक्षक, सुरक्षा गार्ड, तथा गन मैन की जो संख्या निर्धारित की गई है, उसे समय–समय पर घटाया–बढ़ाया जा सकता है।
35. सुरक्षा एजेंसी को पृष्ठ 1 के कालम 4 में उल्लेखित राशि के अतिरिक्त कोई भी राशि देय नहीं होगी।
36. संस्था ऐसे सुरक्षा कर्मचारी की ही तैनात रहेगी जिनका पुलिस वेरीफिकेशन कर लिया गया है अन्यथा ऐसे सुरक्षा कर्मचारी का भुगतान विश्वद्यिालय द्वारा नहीं किया जा सकेगा। निविदा के साथ ऐसे सुरक्षा कर्मचारियों की सूची दी जावे जिनका पुलिस वेरीफिकेशन है (Police verification का प्रमाण–पत्र भी संलग्न किया जावे) ।
37 सुरक्षा एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि माह समाप्त होने पर तैनात कर्मचारियों को पारिश्रमिक भुगतान करेगी एवं भुगतान बाद उनका बिल प्रस्तुत करेगी जिसे अनुबंधित शर्तों के अनुकूल पाए जाने पर भुगतान किया जा सकेगा। संस्था को बिल के साथ संलग्न प्रपत्र में प्रत्येक सुरक्षा गार्ड का वेतन पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक प्रस्तुत करना होगा।
38. कर्मचारी भविष्यनिधि प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम धारा 8 'क' के प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित नियोक्ता का ई.पी.एफ. अंशदान की राशि (उस पर देय प्रशासनिक प्रभार एवं ई.डी.एल.आई. की राशि सम्मिलित करते हुए) संबंधित एजेन्सी के ई.पी.एफ. कोड में चालान द्वारा जमा करना होगा। चालान की एक प्रति देयक के साथ प्रस्तुत करना होगा।
39. सुरक्षा एजेन्सी द्वारा ठेके की अवधि में नव नियुक्त कर्मचारी को भविष्यनिधि अधिनियम के अन्तर्गत EPF कार्यालय को प्रपत्र क्रं. 9'A' में जानकारी दी जाकर संबंधित कर्मचारी के लेखा संख्या आवंटन की सूचना विश्वविद्यालय को पारिश्रमिक देयक के साथ पृथक से दी जानी होगी।
40. जिन भवनों की सुरक्षा का ठेका देने के लिए निविदाऐं बुलाई गई हैं उनका ठेका एक ही एजेन्सी को देने अथवा अलग–अलग भवनों का ठेका अलग–अलग एजेन्सियों को ठेका देने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा।
41. यदि किसी कार्य दिवस में कोई सुरक्षा कर्मी के अनुपस्थित रहने पर उसके स्थान पर अन्य सुरक्षाकर्मी की व्यवस्था एजेंसी द्वारा नहीं की जाती है अनुपस्थिति की शिकायत विभाग प्रमुख

द्वारा किए जाने पर एजेंसी द्वारा प्रस्तुत देयक में से रू. 500/– प्रतिदिन की दर से कटौती प्रथम पक्ष द्वारा की जाएगी।

42. अधिकारी की शिकायत पर कि सुरक्षा गार्ड सोते पाये गये, अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के साथ ही रू. 500/– प्रतिदिन की दर से कटौती सुरक्षा एजेंसी के देयक से की जाएगी।

43. विश्वविद्यालय के विभागों की सम्पत्ति (उपकरण एवं अन्य सामग्री) की सुरक्षा का दायित्व सुरक्षा एजेंसी का होगा। यदि किसी विभाग में आंतरिक चोरी होती है तो इसका दायित्व सुरक्षा एजेंसी का होगा और सुरक्षा एजेंसी से हानि की वसूली की जाएगी।

44. सभी प्रकरणों में न्यायालयीन क्षेत्र अधिकार भोपाल न्यायालय तक सीमित होगा।

//घोषणा–पत्र//

मैं/हम सत्य निष्ठा से घोषणा करते हैं कि उपर्युक्त दी गयी जानकारी सत्य है। असत्य पाये जाने पर हमारे विरूद्व विधिसम्मत कार्यवाही की जाये। प्रश्नाधीन निविदा में संबंधित कर्मचारियों की सेवाएें देने हेतु हम विधिक रूप से सक्षम हैं। विधिक औपचारिकतायें संस्था के पास हैं। **मुझे उपरोक्त सभी शर्तें मान्य हैं।**

(टेंडरदाता संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर एवं सील)
दिनांक
फोन/मोबाईल नं.